Annexure 3

(13)c

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2004/फाल्गुन 7, 1925 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 44

No. 27] DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2004/PHALGUNA 7, 1925 [N.C.T.D. No. 44

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 फरवरी, 2004

सं. फा० 1(159)/परि./सीबी/98-99/3539.— मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 211 में प्राप्त अभिभावी बहु–प्रयोजनीय प्रावधान के साथ पठित धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ण) तथा (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी अन्य प्रयोजन के लिए शुल्क वसूल करने के लिए जिसके लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों तथा उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित पूर्व प्रकाशन के पश्चात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

~~प्रारूप~~ नियमावली

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली, 2004 कहा जा सकेगा।

(2) ये मई, 2004 के प्रथम दिन से प्रभावी होंगे।

657 DG/2004

Scanned with CamScanner

नए नियम 30 क का समावेश्न

2. दिल्ली, मोटर वाहन नियमावली, 1993 (इसके बाद "मूल नियमावली" के रूप में सन्दर्भित) के नियम 30 के पश्चात् निम्नलिखित नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

"30क वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र का फार्म :- दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली, 2004 के प्रारंभ होने पर और उपरांत दिल्ली में पंजीकृत मोटर वाहन की सभी श्रेणियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र केवल फार्म 23क में जारी किए जाएंगे।

आगे शर्त है कि दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली, 2004 के लागू होने से पूर्व दिल्ली में पंजीकृत मोटर वाहनों की सभी श्रेणियों के पास ऐसे प्रारंभ की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर फार्म 23 क में एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी होगा।"

नियम 32 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 32 में:-

(1) उपनियम (1) के खंड (ख) में शब्द तथा संख्या "फार्म 23" के उपरांत और शब्द "डुप्लीकेट" से पूर्व शब्द संख्या और अक्षर "अथवा जैसी भी स्थिति हो, फार्म 23 क" शामिल किए जाएंगे;

(2) उपनियम (2) के खंड (ख) में शब्द तथा संख्या "फार्म 23" और शब्द "एक डुप्लीकेट" से पूर्व शब्द, संख्या और अक्षर, "अथवा; जैसी भी स्थिति हो, फार्म 23क" जोड़े जाएंगे।

नए नियम 44क और 44 ख का समावेश

4. मूल नियमावली के नियम 44 के उपरांत निम्नलिखित नियम शामिल किए जाएंगे; अर्थात्:-

नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारित स्मार्ट कार्ड में मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर के रख-रखाव की पद्धति और समाविष्ट किए जाने वाले अतिरिक्त मामले:-मोटर वाहनों संबंधी राज्य रजिस्टर निर्धारित फार्म 23क में इलैक्ट्रोनिक रूप में बनाया जाएगा और इसके भाग "ख" में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी शामिल होगी; अर्थात्:-

Scanned with CamScanner

भाग—ख

स्मार्ट कार्ड में अतिरिक्त सूचना

(1) कार्डधारी के कर अभिलेख की पूर्ववर्ती विवरण

(2) कार्डधारी की दुर्घटना का पिछला इतिवृत्त

(3) बायोमैट्रिक (निशान, अंगूठा, फोटोग्राफ इत्यादि)

(4) लम्बित मुकद्दमों का जोनल कार्यालय तथा अन्य राज्यों से प्राप्त पूर्व डाटाबेस

(5) अन्य सरकारी विभागों जैसें पुलिस आबकारी आदि से प्राप्त वाटेंड टिप्पणियों का विवरण

(6) समय—समय पर शामिल करने के लिये आदेश दी गयी कोई अन्य सम्बद्ध सूचना

"44 (ख) पंजीकरण अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण के लिये शुल्क :— (1) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 47 के उपनियम (1) नियम 52, 53 ओर 54 नियम 55 के उपनियम (2) के खंड–3 तथा उपनियम (3), नियम 56 के उपयिम (2) के खंड (क), नियम 57 के उपनियम (1) के खंड (क), नियम 59 और 60, नियम 61 के उपनियम (1) और (2), नियम 62 के उपनियम (2), नियम 76 के उपनियम (1) तथा नियम नियम 78, तथा मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 31,32,34,41, 53 और 56 के अनुसार प्रत्येक आवेदन—पत्र के साथ मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 81 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त तथा इस नियमावली के नियम 31 के उपनियम (1), नियम 32 के उपनियम (1) के खंड (ग) तथा उपनियम (2) के खंड (ख), नियम 34 के

Scanned with CamScanner

उपनियम (8), नियम 40, नियम 41, उपनियम 4 तथा नियम 59 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त उसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भाग "ख" के लिये एक सौ सत्तर रुपये का शुल्क लागया जाएगा;

उपबंध है कि इस उपनियम के उपबंध उन वाहन के आवेदनकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे, जिन्होंने केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत फार्म 23 क में यथाविनिर्दिष्ट विजयुल निरीक्षण क्षेत्र में अपने विवरण के संशोधन या आद्यतन बनाने के लिये अनुरोध नहीं किया है तथा दिल्ली से बाहर पंजीकृत वाहन, जिन्होंने दिलली में नया पंजीकरण चिन्ह लेने के लिये आवेदन नहीं किया है:

आगे यह भी कि संशोधन या आद्यतन बनाने के लिये इस उपनियम में उल्लिखित आवेदन के अनुसरण में संबंधित सूचना सहित अपेक्षित संशोधित या आद्यतन किये जाने के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र इस उपनियम में निर्धारित शुल्क देने की शर्त पर जारी किए जाएंगे।

(2) राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अंशतः या पूर्णतः किसी वर्ग के वाहनों या किसी वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों या संस्थानों को, जो ऐसे वाहनों के मालिक है उपनियम (1) के अधीन शुल्क के भुगतान से छूट दे सकती है।"

Scanned with CamScanner

स्मार्ट कार्ड के लिए निर्धारित किए जाने वाले शुल्क के संबंध में

वित्तीय ज्ञापन

इस समय वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रपत्र 23 में जारी किए जा रहा है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 48 के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने स्मार्ट ऑप्टिकल कार्ड के रूप में वाहनों के संबंध में प्रपत्र 23क में 'पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया। इस समय सरकार 60रु0 (दोपहियां), 200रु0 (हल्के मोटर वाहनों), 300रु0 (हल्के माल वाहनों), 400रु0 (मध्यम माल/यात्री वाहनों) तथा 600रु0 (भारी माल) यात्री वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल करती है। भारत सरकार ने अपनी दिनांक 31 मई 2002 की अधिसूचना सं0 जी एस आर– 400 (ई) के अनुसार सरकार को प्रपत्र 23क में स्मार्ट आप्टिकल कार्ड में पंजीकरण प्रमाण–पत्र की आपूर्ति हेतु 200 रु0 प्रति कार्ड का अतिरिक्त शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान की।

02. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वाहन पंजीकरण के लिए जारी किए जाने वाले प्रपत्र 23क के अन्तर्गत निर्धारित स्मार्ट ऑप्टिकल कार्ड में कुछ अतिरिक्त सूचना निहित होगी जो कि सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई जो कि उक्त स्मार्ट कार्ड का भाग 'ख' होगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(i) कार्डधारक के कर अभिलेख का पिछला विवरण

(ii) कार्ड़धारक द्वारा दुर्घटना का पिछला इतिहास

(iii) बॉयोमैट्रिम्स (अंगूठें की छाप, फोटोग्राफ इत्यादि)

(iv) अन्य आंचलिक कार्यालयों तथा अन्य राज्यों से प्राप्त लंबित अभियोजन मामलों का पूर्ण डाटाबेस

657 DG/04-2

Scanned with CamScanner

(v) अन्य सरकारी विभागों अर्थात् पुलिस, आबकारी इत्यादि से प्राप्त वांछित टीपों का विवरण

(vi) समय–समय पर सम्मिलित किए जाने के लिए आदेश द्वारा दिए जाने वाले कोई अन्य सुसंगत सूचना।

03. स्मार्ट ऑप्टिकल कार्ड जारी करने के लिए पूर्ण सम्बद्धता सहित पूर्ण आन–लाइन प्रणाली स्थापित करने के लिए आधारभूत ढ़ाँचा, यू.पी.एस तथा स्थल तैयारी और ऐसे अन्य खर्चः अर्थात् स्टेशनरी, बिजली इत्यादि की भी आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य के लिए उपरोक्त पैरा–2 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से स्मार्ट ऑप्टिकल कार्ड में पंजीकरण प्रमाण पत्र के भाग "ख" के लिए 170रु0 की अतिरिक्त राशि वसूलने की अपेक्षा की गई है। इस प्रकार, स्मार्ट ऑप्टिकल कार्ड में पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए कुल राशि प्रति वाहन प्रति कार्ड 200+170–370रु0 होगी।

04. इसलिए नये वाहन मालिक को पंजीकरण शुल्क + अपने वाहन के पंजीकरण के समय स्मार्ट ऑप्टिकल कार्ड जारी करने के लिए प्रभार अदा करना पड़ेगा। इस प्रकार नये हल्के मोटर वाहन के मालिक को उदाहरणार्थ 200रु0 (पंजीकरण शुल्क)+ 370रु0 (स्मार्ट ऑप्टिकल कार्ड प्रभार)– 570रु0 जमा कराने पड़ेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव तलवार, सचिव

Scanned with CamScanner

101C

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th February, 2004

No. F. 1(159)/Tpt./CB/98-99/3539.— In exercise of the powers conferred by clauses (o) and (p) of sub-section (2) of section 65 read with the overriding omnibus provision obtaining in section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) for charging fees for any other purpose for which there is no express provision, and of all other powers enabling it in this behalf and after previous publication as required under sub-section (1) of section 212 of the said Act, the Government of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, namely :-

RULES

Short title and commencement. 1. (1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the first day of May, 2004.

Insertion of new rule 30 A. 2. In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter referred to as the "principal Rules"), after rule 30, the following rule shall be inserted, namely :-

"30A. *Form of Certificate of Registration of vehicles."* - The Certificates of Registration for all categories of motor vehicles registered in Delhi on after the commencement of the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2004 shall be issued in Form 23 A only :

Scanned with CamScanner

Provided that all categories of motor vehicles registered in Delhi prior to the commencement of the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2004 shall also have to possess a Certificate of Registration in Form 23A within a period of two years from the date of such commencement."

Amendment of rule 32.

3. In the principal Rules, in rule 32 -

(i) in sub-rule (1), in clause (b), after the word and figures "Form 23" and before the words "a duplicate", the words, figures and letter "or, as the case may be, Form 23 A" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (2), in clause (b), after the word and figures "Form 23" and before the words "a duplicate", the words, figures and letter "or, as the case may be, Form 23A" shall be inserted.

Insertion of new rules 44A and 44B.

4. In the principal Rules, after rule 44, the following rules shall be inserted, namely :-

Scanned with CamScanner

"*44A. Manner of maintaining State Register of Motor Vehicles and additional matters to be incorporated in SMART CARD prescribed under Form 23A.*"- The State Register of Motor Vehicles shall be maintained in electronic form, in the prescribed Form 23A and shall also contain the following additional information as specified in Part 'B' thereof, namely :-

PART - B

Additional information in Smart Card

(1) The previous details of tax record of cardholder.
(2) Past history of accident(s) by the cardholder.
(3) Biometrics (thumb impression, photographs, etc.).
(4) Complete database of pending prosecution cases received from other zonal offices and other States.
(5) Particulars of wanted notes received from other Government Departments, i.e. Police, Excise, etc.
(6) Any other relevant information ordered to be included from time to time.

Scanned with CamScanner

"44B. *Fees for computerization of Registration Record.* - (1) Every application under sub-rule (1) of rule 47, rules 52, 53 and 54, clause (iii) of sub-rule (2) and sub-rule (3) of rule 55, clause (a) of sub-rule (2) of rule 56, clause (a) of sub-rule (1) of rule 57, rules 59 and 60, sub-rules (1) and (2) of rule 61, sub-rule (2) of rule 62, sub-rule (1) of rule 76 and rule 78 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989; and rules 31, 32, 34, 41, 53 and 56 of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 shall be accompanied by a fee of rupees one hundred and seventy for Part 'B' specified hereunder, in addition to the fees prescribed under rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and sub-rule (1) of rule 31, clause (c) of sub-rule (1) and clause (b) of sub-rule (2) of rule 32, sub-rule (8) of rule 34, rule 40, sub-rule (4) of rule 41 and rule 59 of these rules :

Provided that the provisions of this sub-rule shall not apply to the applications in respect of the vehicles which do not call for modification or updation of the particulars in the Visual Inspection Zone as specified in prescribed Form 23A under the Central Motor Vehicles Rules, 1989 as well as the vehicles registered outside Delhi which have not applied for assignment of the new Registration Mark in Delhi:

Scanned with CamScanner

8/C

Provided further that the Certificates of Registration required to be modified or updated with the relevant information in pursuance of the applications mentioned in this sub-rule shall be issued subject to the fees prescribed in this sub-rule.

(2) The State Government may, by notification in the official Gazette, grant exemption, either partially or fully, to the vehicles of the categories or owned by class or classes of persons or institutions, from the payment of fees prescribed under sub-rule (1)."

Financial Memorandum regarding the fee to be prescribed for Smart Card

At present the Vehicle Registration Certificate is being issued in Form 23. In view of the amendment made by the Government of India to rule 48 of the Central Motor Vehicles Rules 1989, Government of N.C.T. of Delhi has decided to issue the Registration Certificate in Form 23A in respect of vehicles in the form of Smart Optical Card. At present, the Government charges a registration fee of Rs.60/- (two-wheeler), Rs.200/-(light motor vehicles), Rs.300/- (light goods vehicles), Rs.400/- (medium goods / passenger vehicles) and Rs.600/- (heavy goods/passenger vehicles). The Government of India has, vide its Notification GSR-400(E) dated 31st May, 2002 permitted the Government to charge an additional amount of fee of Rs.200/- per card for supplying Registration Certificate in Smart Optical Card in Form 23A.

Scanned with CamScanner

02. Smart Optical Card prescribed under Form 23A to be issued for vehicle registration by the Govt. of N.C.T. of Delhi would be containing certain additional information considered necessary by the Government which will form Part 'B' of the said Smart Card, the details of which are as under:

i) The previous details of tax record of cardholder.
ii) Past history of accident by the cardholder.
iii) Biometrics (thumb impression, photographs, etc.)
iv) Complete database of pending prosecution cases received from other zonal offices and other States.
v) Particulars of wanted notes received from other Government departments i.e. Police, Excise, etc.
vi) Any other relevant information ordered to be included from time to time.

fully, to the vehicles of the categories or owned by class or classes of persons or institutions, from the payment of fees prescribed under sub-rule (1)."

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAJEEV TALWAR, Secy.

Scanned with CamScanner